भारत का सर्वोच्च न्यायालय
महर्षि मार्कंडेश्वर...
बनाम
आकृति शर्मा,
19 सितंबर, 2022
लेखक: माननीय डॉ. चंद्रचूड़, न्यायाधीश
बेंच: माननीय डॉ. चंद्रचूड़, माननीय सुश्री कोहली, न्यायाधीशगण

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2022 की
सिविल अपील संख्या 6809

¼ माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश] सिमला के निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.08.2022 में पारित 2022 की CWP No.1861 से उत्पन्न)

महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय एवं अन्य अपीलकर्ता

बनाम

आकृति शर्मा एवं अन्य उत्तरदाता

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे

1. अपील स्वीकृत.

2. यह अपील हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 2 अगस्त 2022 के फैसले से उत्पन्न हुई है।

3. पहला अपीलकर्ता हिमाचल प्रदेश में एक निजी राज्य विश्वविद्यालय है जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2010 के तहत स्थापित है। पहला अपीलकर्ता जिला सोलन के कुमारहट्टी में महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाता है। मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग[1] द्वारा अनुमोदित एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 150 सीटों की निर्धारित सीटें हैं।

4. पहली प्रतिवादी मेडिकल छात्रा है जो वर्तमान में एक सरकारी डेंटल कॉलेज में बीडीएस पाठ्यक्रम कर रही है। दूसरे प्रतिवादी, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा[2] 2021 में योग्यता के क्रम के आधार पर एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत परामर्श आयोजित करने के लिए एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया। पहले प्रतिवादी ने NEET–UG 2021 में भाग लिया और 1,26,537 रैंक के साथ 720 में से 456 अंक हासिल किए। 29 जनवरी 2022 को, दूसरे प्रतिवादी ने शैक्षणिक सत्र 2021–2022 के लिए एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी किया। पहले प्रतिवादी ने भोजिया डेंटल कॉलेज, नालागढ़ में बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश सुरक्षित कर लिया और 02 फरवरी 2022 को पाठ्यक्रम में शामिल हो गया। काउंसलिंग के दूसरे दौर में, पहले प्रतिवादी ने एचपी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और अस्पताल, शिमला में बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए, राज्य कोटा के तहत, प्रवेश सुरक्षित कर लिया।

5. काउंसलिंग के दूसरे दौर के पूरा होने के बाद, पहले अपीलकर्ता के मेडिकल कॉलेज में 44 रिक्तियां थीं जो एमबीबीएस डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए मॉप अप काउंसलिंग के लिए खुली थीं। इन 44 सीटों में से 4 राज्य कोटे के तहत खाली थीं, जिनमें से 3 सामान्य कोटे के तहत और एक अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत थी। 15 मार्च 2022 को, दूसरे प्रतिवादी ने एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए मॉप अप राउंड

1 NMC
2 NEET

आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया। अपीलकर्ता ने एनईईटी योग्य उम्मीदवारों से काउंसलिंग का मॉप अप राउंड आयोजित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया। काउंसलिंग 25 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे से होनी थी। 24 मार्च 2022 को दूसरे प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं को उन छात्रों की सूची भेजी जो राज्य कोटे के तहत प्रवेश के लिए पात्र थे, लेकिन उन्हें पहले और प्रबंधन कोटा में प्रवेश दिया गया था। काउंसलिंग का दूसरा दौर के पत्र में कहा गया है कि अगर एनईईटी में अधिक अंक वाले किसी भी छात्र ने मॉप अप राउंड में आवेदन नहीं किया है तो इन छात्रों को राज्य कोटा में स्थानांतरित करने पर विचार किया जा सकता है।

6. पहले प्रतिवादी ने राज्य कोटा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुल्क के साथ अपीलकर्ताओं के मेडिकल कॉलेज के साथ एक आवेदन दायर किया। अपीलकर्ताओं के अनुसार, 25 मार्च 2022 को पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं को प्रबंधन कोटा से राज्य कोटा में अपग्रेड करके सामान्य श्रेणी में राज्य कोटा की सीटें "स्वचालित रूप से भर गईं"। क्रमशः 440, 441, और 442 अंक, और योग्यता में पहले उत्तरदाता से कम थे, जिन्होंने 456 अंक हासिल किए। इसके बाद मैनेजमेंट की सीटें भी भर गईं। इसलिए, पहला प्रतिवादी अपीलकर्ताओं द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटा के तहत एमबीबीएस सीट सुरक्षित नहीं कर सका।

7. सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए 25 मार्च 2022 को आयोजित मॉप अप राउंड काउंसलिंग में एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम में राज्य कोटा से प्रवेश के लिए मेरिट सूची को फिर से तैयार करने के लिए 29 मार्च 2022 को उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ताओं ने जवाब दाखिल किया। कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं, जो मूल रूप से प्रबंधन कोटा में भर्ती हुए थे लेकिन राज्य कोटा में अपग्रेड हो गए थे, उन्हें 11 मई 2022 को पार्टियों के रूप में शामिल किया गया था।

8. उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त 2022 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया। यह देखा गया कि पहले प्रतिवादी को पांचवीं, छठी और सातवें उत्तरदाता से अधिक अंक हासिल करने के आधार पर अपीलकर्ताओं द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का पहला अधिकार था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को राज्य कोटा में अपग्रेड करने पर तभी विचार किया जा सकता है, जब एनईईटी में अधिक अंक वाले किसी भी छात्र ने मोप–अप राउंड में आवेदन नहीं किया हो। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि:

> "उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, तत्काल याचिका की अनुमति दी जाती है। मॉप–अप राउंड में याचिकाकर्ता सहित अन्य आवेदकों की योग्यता को नजरअंदाज करके प्रबंधन कोटा से अपग्रेडेशन पर एमएमएमजी में राज्य कोटे की सामान्य श्रेणी की सीटों में उत्तरदाताओं 6 से 8 तक के प्रवेश को प्रॉस्पेक्टस की स्पष्ट शर्तों के विपरीत होने के कारण कानून की दृष्टि से खराब माना जाता है। नतीजतन, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 को राज्य कोटे की सामान्य श्रेणी की सीटों के खिलाफ 25.03.2022 को आयोजित मॉप अप राउंड काउंसलिंग के संबंध में एमएमएमसी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की मेरिट सूची को फिर से तैयार करने और मेरिट सूची के ऐसे पुनर्निर्धारण के बाद निर्देशित किया जाता है। याचिकाकर्ता को शैक्षणिक वर्ष 2021–2022 से शुरू होने वाले एमएमएमसी, कुमारहट्टी, जिला सोलन, एचपी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में तुरंत प्रवेश दें, अगर उसे दोबारा तैयार की गई योग्यता में जगह मिलती है।

9. विवाद की जड़ एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन/सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रॉस्पेक्टस के खंड 3, 4 और 9(ई) की व्याख्या पर केंद्रित है। प्रॉस्पेक्टस के प्रासंगिक खंड नीचे दिए गए हैं:

> "3. काउंसलिंग के पहले और दूसरे दौर के पूरा होने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा मॉप–अप राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.amruhp.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी जो लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में मॉप–अप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें रिक्त सीटों के खिलाफ अनंतिम आवंटन के लिए निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक राशि के साथ पाठ्यक्रम, कॉलेज और कोटा के नए विकल्प/वरीयताएं भरने की आवश्यकता होती है। शुल्क की सांकेतिक राशि, जैसा लागू हो। यदि उम्मीदवार ऑनलाइन काउंसलिंग के पिछले दौर के दौरान आवंटित अपनी सीट से संतुष्ट है, तो उसे ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद के दौर में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। एमसीआई/एनएमसी दिशानिर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के मॉप अप राउंड

के दौरान एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में कोई अंतर–स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, निजी डेंटल कॉलेजों से सरकारी में पाठ्यक्रम और कोटा के उन्नयन के लिए स्थानांतरण डेंटल कॉलेज और सरकारी/निजी डेंटल कॉलेज एमएमएमसी सोलन को और सरकारी डेंटल कॉलेज/एमएमएमसी सोलन सरकार को मेडिकल कॉलेजों को पाठ्यक्रम, कॉलेज और कोटा की योग्यता–सह–विकल्प/वरीयताओं के क्रम में अनुमति दी जाएगी।

नोट: (i) जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के पहले और दूसरे राउंड में भाग नहीं लिया था / सीटें आवंटित नहीं की थीं, वे भी अपने एएमआरयू मेरिट रैंक के अनुसार काउंसलिंग के मॉप–अप राउंड में भाग ले सकते हैं।

(ii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी बदलाव के साथ–साथ प्रवेश की अंतिम समाप्ति तिथि तक नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से एएमआरयू वेबसाइटों के संपर्क में रहें और विश्वविद्यालय किसी भी तरह से इस संबंध में गैर–संचार के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया दूरभाष नंबर 01905–243962, 243967, 292102 पर संपर्क करें।"

4. निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले हिमाचली वास्तविक उम्मीदवारों को भी संबंधित कॉलेजों में रिक्त/ड्रॉप–आउट सीटों, यदि कोई हो, के विरुद्ध योग्यता के क्रम में प्रबंधन कोटा से राज्य कोटा में स्वचालित रूप से परिवर्तित कर दिया जाएगा। मामला, राज्य कोटा सीटों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन हो सकता है।

9(ई). सामान्य/केंद्रीकृत काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद, निजी मेडिकल कॉलेज (एमएमएमसीएच, सोलन) को पात्र उम्मीदवारों के बीच व्यापक प्रचार करके संस्थान स्तर पर राज्य/प्रबंधन/एनआरआई कोटा के तहत छूटी हुई सीटों को भरने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, एएमआरयू, नेर चौक, मंडी रिक्त सीटों को उम्मीदवारों की योग्यता–सह–पसंद के क्रम में सख्ती से भरने के लिए उनके विकल्प के साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के दूसरे दौर की प्रतीक्षा सूची को प्रिंसिपल, एमएमएमसीएच, सोलन को भेज देगा। एएमआरयू, नेर चौक, मंडी उपरोक्त प्रतीक्षा सूची को वेबसाइट www.amruph.ac.in पर भी अपलोड कर सकता है।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील श्री असीम मेहरोत्रा का कहना है कि काउंसलिंग का मोप अप राउंड प्रॉस्पेक्टस के खंड 4 के अनुसार सख्ती से किया गया था। अपीलकर्ता के अनुसार, दूसरे प्रतिवादी द्वारा जो सूची भेजी गई थी, उसमें पहले प्रतिवादी का नाम शामिल नहीं था। इसलिए, अपीलकर्ता ने स्वचालित रूप से तीन उम्मीदवारों, अर्थात् पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं के नामों को प्रबंधन कोटा से राज्य सामान्य कोटा सीटों में अपग्रेड कर दिया। इसके अलावा, कॉलेज ने शेष प्रबंधन कोटा/एनआरआई सीटें भी भर दीं जो खाली थीं। इसलिए, 25 मार्च 2022 को सभी राज्य कोटा सीटें भर गईं। यह प्रस्तुत किया गया है कि पहले प्रतिवादी ने प्रवेश के लिए मेरिट को फिर से तैयार करने के लिए 29 मार्च 2022 को एक रिट याचिका दायर की, उस समय, सभी राज्य कोटा सीटें भरी हुई थीं। श्री मेहरोत्रा ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अभाव में, अपीलकर्ता पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं को प्रवेश देने के लिए आगे बढ़े।

11. श्री असीम मेहरोत्रा ने आगे कहा कि एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष का पहला सत्र पूरा हो चुका है और छात्रों ने चार महीने की अवधि में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रहने दिया जाता है, तो प्रवेशित छात्रों में से एक छात्र को बाहर करना होगा जो इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है, यह आवश्यक परिणाम होगा क्योंकि पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं में से एक को प्रबंधन कोटा में वापस कर दिया जाएगा, संस्थान में प्रवेश की कुल संख्या 150 से अधिक नहीं हो सकती है। निवेदन यह है कि पहले प्रतिवादी को प्रवेश देने से अपीलकर्ताओं को 150 सीटों के निर्धारित सेवन को पार करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप एक छात्र जो योग्यता में सबसे कम है, उसे बाहर करना होगा। जबकि वह छात्र न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है।

12. विकल्प में, यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता को स्वीकार करता है, तो अपीलकर्ताओं को आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022–2023 में प्रथम प्रतिवादी के लिए एक सीट, एनएमसी की मंजूरी के अधीन, खाली रखने की अनुमति दी जा सकती है।

13. दूसरी ओर, पहले प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील श्री एमसी ढींगरा द्वारा यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपने उपचारों तक पहुंच की मांग करने में पहले प्रतिवादी की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी। दलील यह है कि प्रबंधन कोटा के तहत भर्ती किए गए हिमाचली छात्रों के उन्नयन के लिए प्रॉस्पेक्टस के खंड 4 के प्रावधानों पर भरोसा करना अपीलकर्ताओं के लिए उचित नहीं था। वकील ने आग्रह किया कि प्रॉस्पेक्टस के खंड 3 के प्रावधानों को पहले संचालित किया जाना चाहिए और यदि परिणामस्वरूप कोई सीट खाली रहती है तो ही खंड 4 को संचालित किया जा सकता है।

14. उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरे प्रतिवादी ने पहले प्रतिवादी के मामले का समर्थन किया है। दूसरे प्रतिवादी ने 24 मार्च 2022 के अपने पत्र का हवाला दिया जहां यह सलाह दी गई थी कि काउंसलिंग के पहले और दूसरे दौर में प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों को राज्य कोटा में प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते कि एनईईटी में अधिक अंक पाने वाला कोई भी छात्र एमओपी में आवेदन न करे। 28 मार्च 2022 को, दूसरे प्रतिवादी ने भी अपीलकर्ताओं को सामान्य श्रेणी में प्रबंधन कोटा सीटों को राज्य कोटा में परिवर्तित करने की समीक्षा करने के लिए एक सलाह भेजी। सलाह का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

> "हमें प्रबंधन कोटा सीटों को एचपी कोटा में गलत रूप से परिवर्तित करने के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। आपसे अनुरोध है कि हमारे द्वारा पत्र संख्या एएमआरयू/सीओई/काउंसलिंग/2021/–3083 दिनांक 24 मार्च, 2022 के माध्यम से जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवंटन की समीक्षा करें, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को यदि NEET में अधिक रैंक वाला कोई भी छात्र मॉप–अप राउंड में आवेदन नहीं करता है, तो रिक्त एचपी कोटा सीट को रैंक के अनुसार स्थानांतरित कर दिया जाता है और एचपी के माननीय उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी नंबर 2160/2020 के 10.7.2020 को गुंजन आहूजा और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य शीर्षक के फैसले का भी संदर्भ लें।"

> 15. इस न्यायालय ने लगातार माना है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए योग्यता प्राथमिक विचार होनी चाहि[3]। आशा बनाम पं. बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय[4], इस न्यायालय की दो–न्यायाधीश पीठ ने कहा कि पाठ्यक्रमों और कॉलेजों की प्राथमिकता के लिए योग्यता के नियम का सभी हितधारकों और अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के अकुशल, गलत या अनुचित तरीकों से योग्यता का नियम विफल हो जाता है:

> 21. ...चयन का मानदंड केवल योग्यता होना चाहिए। वास्तव में, योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया के लोकाचार हैं। यदि मेरिट का नियम अक्षमता, अशुद्धि या प्रवेश के अनुचित तरीकों से विफल हो जाता है, तो यह इस न्यायालय द्वारा तैयार की गई और राज्यों द्वारा विधिवत अधिसूचित योजना का मजाक होगा। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं हो सकती जहां योग्यता के नियम से समझौता किया जा सके। ... इस न्यायालय द्वारा लगातार अपनाए गए दृष्टिकोण का उल्लेख करना उपयोगी होगा कि केवल योग्यता ही ऐसे प्रवेशों के लिए मानदंड है और योग्यता को दरकिनार करना न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।

16. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के दौरान मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूरा करने में योग्यता और निष्पक्ष प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित किया है। उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रॉस्पेक्टस का खंड 3 ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां मॉप अप राउंड के परिणामस्वरूप सीटें उपलब्ध होती हैं जो प्रवेश प्रक्रिया की निरंतरता है, जबकि खंड 4 केवल रिक्त/ड्रॉप आउट सीटों के संबंध में उपलब्ध है। यह वह स्थिति होगी जब मॉप अप राउंड सहित काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं को जो उन्नयन दिया गया था वह प्रवेश के लिए प्रॉस्पेक्टस के संदर्भ में उचित था। पहले प्रतिवादी को राहत देते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ताओं

---

3 प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) 3 एससीसी 654 द्वारा एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था ; अनएडेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के प्रबंधन संघ बनाम प्रवेश नियंत्रण समिति (2005) 13 एससीसी 704; प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 7 एससीसी 433

4 (2012) 7 एससीसी 389

की मनमानी कार्रवाई के कारण पहले प्रतिवादी को राहत नहीं मिली। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं द्वारा की गई गलती के लिए, पहला प्रतिवादी स्वीकारोक्ति का हकदार होता।

17. प्रॉस्पेक्टस के क्लॉज 3 में कहा गया है कि काउंसलिंग के पहले और दूसरे राउंड के पूरा होने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा मॉप अप राउंड के लिए एक शेड्यूल जारी किया जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। जो उम्मीदवार मॉप अप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें पाठ्यक्रम, कॉलेज और कोटा के संबंध में नए विकल्प/वरीयताएं ऑनलाइन भरनी होंगी। योग्यता-सह-विकल्प/वरीयताओं के क्रम में निजी डेंटल कॉलेजों से सरकारी डेंटल कॉलेजों और सरकारी/निजी डेंटल कॉलेजों से एमएमएमसी सोलन और सरकारी डेंटल कॉलेजों/एमएमएमसी सोलन से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पाठ्यक्रम और कोटा के उन्नयन के लिए स्थानांतरण की अनुमति होगा। खंड 3 के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहले उत्तरदाता ने माना कि पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं की तुलना में योग्यता में उच्च स्थान प्राप्त किया। इसलिए वह खंड 3 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रवेश की हकदार थी।

18. प्रोस्पेक्टस के खंड 4 में प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित छात्र जिन्हें निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश दिया गया था, उन्हें संबंधित कॉलेजों में रिक्त/ड्रॉप आउट सीटों के खिलाफ प्रबंधन कोटा से राज्य कोटा में स्वचालित रूप से परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि योग्यता के क्रम में कोई रिक्त स्थान हो। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा है, खंड 4 अपने स्पष्ट शब्दों में रिक्त/ड्रॉप आउट सीटों पर लागू होता है जो आवश्यक रूप से उस स्थिति को संदर्भित करेगा जो काउंसलिंग के मोप अप दौर के पूरा होने के बाद प्राप्त होती है। इसलिए, प्रॉस्पेक्टस के खंड 3 और 4 पर उच्च न्यायालय द्वारा जो व्याख्या रखी गई है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

19. अगला प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए प्रथम प्रतिवादी को प्रवेश देने के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की मेरिट सूची को फिर से तैयार करने का निर्देश देने में सही किया था।

20. एस. कृष्णा श्रद्धा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[5] में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राहत की प्रकृति पर विचार किया जो एक मेधावी छात्र को दी जा सकती है जिसे अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। इस न्यायालय ने कहा कि किसी मेधावी छात्र को बिना किसी गलती के प्रवेश से वंचित करना भारत के संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसलिए, न्यायालय ने माना कि प्राथमिक राहत क्षतिपूर्ति की प्रकृति में होनी चाहिए और अदालतें, दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में, प्रवेश के लिए अंतिम निर्धारित तिथि के बाद भी उसी शैक्षणिक वर्ष में छात्र को प्रवेश दे सकती हैं। निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:

> 13. यहां ऊपर की गई चर्चा/टिप्पणियों के आलोक में, एक मेधावी उम्मीदवार/छात्र जिसे बिना किसी गलती के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से या तर्कहीन तरीके से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है और जिसने समय पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह देखने के लिए कि ऐसे मेधावी उम्मीदवार को बिना किसी गलती के कष्ट न उठाना पड़े, हम संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैं:
>
> 13.1. ऐसे मामले में जहां उम्मीदवार/छात्र ने जल्द से जल्द और बिना किसी देरी के अदालत का दरवाजा खटखटाया है और सवाल मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में है, संबंधित अदालत द्वारा कार्यवाही को प्राथमिकता देकर निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
>
> 13.2. असाधारण परिस्थितियों में, यदि अदालत को पता चलता है कि उम्मीदवार की कोई गलती नहीं है और उम्मीदवार ने बिना किसी देरी के अपने कानूनी अधिकार का तेजी से पालन किया है और वहां केवल प्राधिकारियों की ओर से गलती है और/या प्रवेश देने की प्रक्रिया में नियमों और विनियमों के साथ-साथ संबंधित सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों के लिए समानता और समान व्यवहार के अधिकार का उल्लंघन होगा और यदि समय सीमा निर्धारित की जाती है - 30 सितंबर, समाप्त हो गया है, पूर्ण न्याय करने के लिए, न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में और दुर्लभतम मामलों में सीटें बढ़ाने का निर्देश देकर उसी वर्ष प्रवेश का निर्देश देता है, हालांकि, यह एक या दो सीटों से अधिक नहीं होनी चाहिए और ऐसे प्रवेश हो सकते हैं उचित

5 (2020) 17 एससीसी 465

समय के भीतर यानी 30 सितंबर यानी कट–ऑफ तारीख से एक महीने के भीतर आदेश दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में, न्यायालय 30 अक्टूबर के बाद उसी वर्ष में किसी भी प्रवेश का आदेश नहीं देगा। हालाँकि, यह देखा गया है कि ऐसी राहत केवल असाधारण परिस्थितियों और दुर्लभतम मामलों में ही दी जा सकती है। ऐसी किसी घटना के मामले में, न्यायालय उस उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश रद्द करने का आदेश भी पारित कर सकता है, जो उस श्रेणी की योग्यता सूची में सबसे नीचे है, यदि प्रवेश अधिक मेधावी उम्मीदवार को दिया गया होता, जिसे अवैध रूप से प्रवेश से इनकार करने पर, यदि अदालत उचित समझती है तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा, हालांकि, उस छात्र को सुनवाई का अवसर देने के बाद जिसका प्रवेश रद्द करने की मांग की गई है।

13.3. यदि न्यायालय की राय है कि ऐसे उम्मीदवार को उसी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश की कोई राहत नहीं दी जा सकती है और जहां भी उसे पता चलता है कि अधिकारियों की कार्रवाई मनमाना है और नियमों और विनियमों या प्रॉस्पेक्टस को प्रभावित करने वाली है। छात्रों के अधिकार और एक उम्मीदवार मेधावी पाया जाता है और ऐसे उम्मीदवार/छात्र ने जल्द से जल्द अदालत का दरवाजा खटखटाया है और बिना किसी देरी के, अदालत राहत दे सकती है और ऐसे उम्मीदवार को प्रवेश देने का निर्देश दे सकती है। अगले शैक्षणिक वर्ष में उचित दिशा–निर्देश जारी करके सीटों की संख्या में वृद्धि करने का निर्देश दिया जाएगा, जो इस तरह की घटना के मामले में उचित समझा जा सकता है और यदि यह पाया जाता है कि प्रबंधन की गलती थी और गलत तरीके से मेधावी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया था। उम्मीदवार, उस मामले में, न्यायालय उस वर्ष के प्रबंधन कोटा में सीटों की संख्या को कम करने का निर्देश दे सकता है, जिसका अर्थ है कि जिन छात्र/छात्राओं को अवैध रूप से प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, उन्हें आवंटित सीटों में से अगले शैक्षणिक वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

13.4. मुआवज़ा देना एक अतिरिक्त उपाय हो सकता है लेकिन पुनर्स्थापनात्मक उपायों का विकल्प नहीं। इसलिए, एक उपयुक्त मामले में न्यायालय ऐसे मेधावी उम्मीदवार को मुआवजा दे सकता है, जिसे बिना किसी गलती के एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष खोना पड़ा और जिसे उसी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश की कोई राहत नहीं दी जा सकी।

13.5. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित हैं और हमने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं किया है।

21. इसके अलावा, इस न्यायालय ने कई अवसरों पर माना है कि अदालतें एनएमसी द्वारा तय की गई स्वीकृत संख्या से अधिक सीटें बढ़ाने के निर्देश जारी नहीं कर सकती हैं।[6] राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाम मोथुकुरु श्रीयाह कौमुदी[7] में, इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ को यह कार्य सौंपा गया था। उच्च न्यायालय के फैसले की सत्यता पर निर्णय लेते हुए एनएमसी को एक अतिरिक्त सीट बनाने और प्रतिवादी छात्र को प्रवेश देने का निर्देश दिया गया, जिसे अवैध रूप से स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। इस न्यायालय ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति जताई कि अदालतें एनएमसी द्वारा स्वीकृत सीटों से अधिक सीटें बनाने और वार्षिक प्रवेश क्षमता बढ़ाने के निर्देश जारी नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा, इसने रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने के लिए एस. कृष्णा श्रद्धा (सुप्रा) को संदर्भित किया। प्रतिवादी छात्र को एक शैक्षणिक वर्ष के नुकसान के लिए 10 लाख रुपये दिए गए और उसे संबंधित कॉलेज के प्रबंधन कोटा में अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश भी दिया गया।

22. त्वरित कार्यवाही में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि पहले प्रतिवादी को अपीलकर्ताओं द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में गलत तरीके से प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। हालाँकि, शैक्षणिक सत्र 2021–2022 के लिए एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश 25 मार्च 2022 को समाप्त हो गए थे। निःसंदेह, पहली प्रतिवादी की ओर से उच्च न्यायालय जाने में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उसने 29 मार्च 2022 को एक रिट याचिका दायर की थी। फिर भी, जब तक उच्च न्यायालय ने मुद्दे का फैसला किया, तब तक दाखिले पहले ही संपन्न हो चुके थे और प्रवेश हेतु अंतिम निर्धारित तिथि समाप्त हो चुकी थी।

---

6 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य (1998) 6 एससीसी 131; सत्यब्रत साहू बनाम उड़ीसा राज्य (2012) 8 एससीसी 203; फ़ैज़ा चौधरी बनाम जम्मू–कश्मीर राज्य (2012) 10 एससीसी 149; अनीश डी लावांडे बनाम गोवा राज्य (2014) 1 एससीसी 554

7 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 992

23. पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं, जो तीन छात्र थे, जिन्हें प्रॉस्पेक्टस के खंड 4 के संदर्भ में अपग्रेड किया गया था, को कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया था। हालाँकि मामला सिर्फ इन तीन छात्रों तक ही सीमित नहीं है। अपीलकर्ताओं के मेडिकल कॉलेज की निर्धारित प्रवेश क्षमता 150 छात्रों की है। मेरिट सूची को फिर से तैयार करने और पहले प्रतिवादी को प्रवेश देने के उच्च न्यायालय के निर्देश का परिणाम कुछ अव्यवहार्य परिणामों को जन्म देता है। शैक्षणिक सत्र 2021–2022 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित छात्रों की कुल संख्या 151 छात्रों तक बढ़ जाएगी और पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं में से तीन छात्रों में से एक को प्रबंधन कोटा में वापस कर दिया जाएगा, लेकिन मामला वहां समाप्त नहीं होता है। एक बार जब पहले प्रतिवादी के प्रवेश के बाद कॉलेज की सीटें 151 सीटों तक बढ़ जाती हैं, तो एक छात्र जो योग्यता में सबसे कम होगा, उसे प्रवेश के लिए रास्ता देना होगा जो पहले प्रतिवादी को निर्देशित किया जाता है। उस छात्र को उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया होगा। उपरोक्त स्थिति के साथ यह तथ्य जुड़ा है कि शैक्षणिक वर्ष 2021–2022 के लिए एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम के पहले सत्र के पांच महीने पूरे हो चुके हैं और प्रवेशित छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय के लिए पहले प्रतिवादी को प्रवेश देने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश को स्वीकार करना संभव नहीं हो सकता है। श्री असीम मेहरोत्रा द्वारा आग्रह किया गया वैकल्पिक अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस न्यायालय के लिए यह निर्देश देना उचित नहीं होगा कि आगामी शैक्षणिक वर्ष 2022–2023 के लिए उपलब्ध सीटों के विरुद्ध पहले प्रतिवादी को प्रवेश दिया जाए। क्योंकि शैक्षणिक वर्ष 2022–2023, गवर्निंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, प्रतिस्पर्धी आधार पर भरा जाना चाहिए।

24. हालाँकि, हमारा स्पष्ट मानना है कि पहले प्रतिवादी को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जा सकता है। एनईईटी–यूजी 2021 में मेरिट में पांचवें, छठे और सातवें उत्तरदाताओं से ऊपर होने के बावजूद उसे नुकसान उठाना पड़ा है। एक गलत व्याख्या के कारण उसे उस प्रवेश से वंचित कर दिया गया है जिसके लिए वह प्रॉस्पेक्टस के खंड 3 के तहत हकदार थी। हालाँकि पहली प्रतिवादी वर्तमान में एक सरकारी डेंटल कॉलेज में बीडीएस पाठ्यक्रम कर रही है, वह एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम के लिए एक सीट की इच्छा रखती है। एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम के एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के नुकसान की भरपाई केवल पैसे के रूप में आंशिक रूप से की जा सकती है। हालाँकि, हमारा स्पष्ट मानना है कि पहली प्रतिवादी को मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए और एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सीट खोने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है।

25. मामले पर विचार करने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता इस आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पहले प्रतिवादी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देंगे। इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों से, हम उस व्याख्या से सहमत हैं जो उच्च न्यायालय ने प्रॉस्पेक्टस के खंड 3 और 4 के बीच परस्पर क्रिया पर रखी है। हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों से, हम मेरिट सूची को फिर से तैयार करने और पहले प्रतिवादी को प्रवेश देने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द कर देते हैं और इसे इस निर्देश के साथ प्रतिस्थापित करते हैं कि अपीलकर्ताओं को 10 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। प्रथम प्रतिवादी को मुआवजा का भुगतान एक माह के अंदर किया जाएगा।

26. उपरोक्त शर्तों में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा।

आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

1 NMC

2 NEET

3 प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) 3 एससीसी 654; अनएडेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के प्रबंधन संघ बनाम प्रवेश नियंत्रण समिति (2005) 13 एससीसी 704; प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2012) 7 एससीसी 433

4 (2012) 7 एससीसी 389

5 (2020) 17 एससीसी 465

6 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम कर्नाटक राज्य (1998) 6 एससीसी 131; सत्यब्रत साहू बनाम उड़ीसा राज्य (2012) 8 एससीसी 203; फ़ैज़ा चौधरी बनाम जम्मू–कश्मीर राज्य (2012) 10 एससीसी 149; अनीश डी लावांडे बनाम गोवा राज्य (2014) 1 एससीसी 554

7 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 992

Vishal Kumar